कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, जिला जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

E-mail ID – janjgir.cg@gov.in Contact & Fax No. 07817-222228

//आदेश//

क्रमांक/1420 /एडीएम/2020 जांजगीर दिनांक 30.07.2020

कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम तथा आमजनों के सुरक्षा की दृष्टिकोण रखते हुए तथा जिले में कोरोना संक्रमित प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण संक्रमण को रोकने एवं नियंत्रण में रखने हेतु सभी संबंधित उपाय अमल में लाया जाना उचित एवं आवश्यक हो गया है।

अतः जिला जांजगीर-चाम्पा में गणेशोत्सव के संबंध में निम्नानुसार आदेश/निर्देश प्रसारित किया जाता है :-

1- मूर्ति की ऊंचाई एवं चौडाई 3×3 फीट से अधिक न हो।

2- मूर्ति स्थापना वाले पंडाल का आकार 15×15 फीट से अधिक न हो।

3- पंडाल के सामने कम से कम 2400 वर्गफीट की खुली जगह हों।

4- पंडाल एवं सामने 2400 वर्गफीट की खुली जगह में कोई भी सडक अथवा गली का हिस्सा प्रभावित न हो।

5- मुख्य मार्ग , सडक अथवा गलियों में मूर्ति स्थापित करने की अनुमति नही होगी।

6- पंडाल/मंडप के सामने दर्शकों के बैठने हेतु पृथक से पंडाल न हो, दर्शकों एवं आयोजकों के बैठने हेतु कुर्सी नही लगायें जायेंगे।

7- किसी भी एक समय में पंडाल एवं मंडप के सामने मिलाकर 10 व्यक्ति से अधिक न हो।

8- मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति एक रजिस्टर संधारित करेगी जिसमें दर्शन हेतु आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाइल नंबर दर्ज किया जायेगा ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कान्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सकें।

9- मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति सीसीटीवी कैमरा लगायेगा, ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कान्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सकें।

10- मूर्ति दर्शन अथवा पूजा में शामिल होने वाला कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नही जायेगा। ऐसा पाये जाने पर संबंधित एवं समिति के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही किया जावेगा। ?

11- **मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति द्वारा सैनेटाइजर थर्मल स्कीनिंग आक्सीमीटर, हेंडवाश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जायेगी। थर्मल स्क्रीनिंग में बुखार पाये जाने अथवा कोरोना से संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाये जाने पर पंडाल में प्रवेश नही देने की जिम्मेदारी समिति की होगी।**

12- व्यक्ति अथवा समिति द्वारा फिजिकल डिस्टेसिंग आगमन एवं प्रस्थान की पृथक से व्यवस्था बांस बल्ली से बेरिकेटिंग कराकर कराया जायेगा।

13- **यदि कोई व्यक्ति जो मूर्ति स्थापना स्थल पर जाने के कारण संक्रमित हो जाता है तो ईलाज का संपूर्ण खर्च मूर्ति स्थापना करने वाला व्यक्ति अथवा समिति द्वारा किया जावेगा।**

14- कंटेनमेंट जोन में मूर्ति स्थापना की अनुमति नहीं होगी। यदि पूजा की अवधि के दौरान भी उपरोक्त क्षेत्र कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित हो जाता है तो तत्काल पूजा समाप्त करनी होगी।

15- मूर्ति स्थापना के दौरान, विसर्जन के समय अथवा विसर्जन के पश्चात् किसी भी प्रकार के भोज, भंडारा, जगराता अथवा सांस्कृति कार्यक्रम करने की अनुमति नही होगी।

16- मूर्ति स्थापना एवं विसर्जन के दौरान प्रसाद, चरणामृत या कोई भी खाद्य एवं पेय पदार्थ वितरण की अनुमति नही होगी।

17- मूर्ति विसर्जन के लिये एक से अधिक वाहन की अनुमति नही होगी।

18- मूर्ति विसर्जन के लिये पिकअप, टाटाएस (छोटाहाथी) से बडे वाहन का उपयोग प्रतिबंधित होगा।

19- मूर्ति विसर्जन के वाहन में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त साज-सज्जा, झांकी की अनुमति नही होगी।

20- मूर्ति विसर्जन के लिये 04 से अधिक व्यक्ति नहीं जा सकेंगे एवं वे मूर्ति के वाहन में ही बैंठेगे। पृथक से वाहन ले जाने की अनुमति नही होगी।

21- मूर्ति विसर्जन के लिये प्रयुक्त वाहन पंडाल से लेकर विसर्जन स्थल तक रास्ते में कहीं रूकने की अनुमति नही होगी।

22- विसर्जन के लिये स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित रूट मार्ग एवं तिथि एवं समय का पालन करना होगा। शहर के व्यस्त मार्गो से मूर्ति विसर्जन वाहन को ले जाने की अनुमति नही होगी। सामान्य रूप से सभी वाहन रिंग रोड के माध्यम से ही गुजरेंगे।

23- विसर्जन के दौरान मार्ग में कही भी स्वागत, भंडारा, प्रसाद वितरण पंडाल लगाने की अनुमति नही होगी।

24- सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पहले मूर्ति विसर्जन के किसी भी प्रक्रिया की अनुमति नही होगी।

25- उपरोक्त शर्तो के साथ घरों में मूर्ति स्थापित करने की अनुमति होगी, यदि घर से बाहर मूर्ति स्थापित किया जाता है तो कम से कम 07 दिवस पूर्व शहरी क्षेत्रो के लिये संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिये तहसीलदार कार्यालय में निर्धारित शपथ पत्र मय आवेदन देना होगा एवं अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही मूर्ति स्थापित करने की अनुमति होगी।

26- इन सभी शर्तो के अतिरिक्त भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आदेश दिनांक 04 जून 2020 के अंतर्गत जारी एसओपी का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा उक्त निर्देशों के उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकुल नियमानुसार अन्य धाराओं के तहत कठोर कार्यवाही की जावेगी।

जिला मजिस्ट्रेट
जिला जांजगीर-चाम्पा (छ.ग)
जांजगीर दिनांक 30.07.2020

पृ. क्रमांक/ 1421 /एडीएम/2020
प्रतिलिपि :-

1- अतिरिक्त मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।

2- सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।

3- सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।
4- आयुक्त बिलासपुर संभाग, बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
5- पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर संभाग की ओर सादर सूचनार्थ।
6- पुलिस अधीक्षक, जांजगीर-चाम्पा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जांजगीर-चाम्पा की ओर सूचनार्थ।
8- अनुविभागीय दण्डाधिकारी सर्व .... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9- सर्व विभाग/कार्यालय प्रमुख .... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10- तहसीलदार सर्व .... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11- उप संचालक, जनसंपर्क जांजगीर-चाम्पा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सर्व .... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13- मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत सर्व .... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जिला मजिस्ट्रेट
जिला जांजगीर-चाम्पा (छ.ग)